राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग

क्रमांकः–एफ 5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट–I/2229 दिनांकः–30/12/2024

## परिपत्र

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त से प्राप्त अ.शा. पत्र एवं जनगणना कार्य निदेशालय से प्राप्त पत्र के दिशानिर्देशानुसार भारत की जनगणना–2021 को मध्यनजर रखते हुये राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.10.2019 द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावें जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

कोविड–19 महामारी के कारण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019 /पार्ट–I/1662 दिनांक 10.08.2020 द्वारा राज्य की प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2019 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2020, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019 /पार्ट–I/185 दिनांक 09.02.2021 द्वारा राज्य की प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 एवं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019 /पार्ट–I/499 दिनांक 11.05.2021 द्वारा राज्य की प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को 31 मार्च, 2021 से बढाकर 30 जून, 2021 तथा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट–I/720 दिनांक 13.07.2021 द्वारा राज्य की प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2021 कर दी गई।

कोविड–19 महामारी के नये वेरिएंट "ओमिक्रॉन" के कारण मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुये महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के दिशा–निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा पुनः 31 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2022 की जाती है।

इसे आवश्यक समझा जावे।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
4. वरिष्ट उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान गजट में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
4. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके पत्रांक एफः 9/33/2019–सीडी(सी.ई.एन) दिनांक 24.12.2021 के क्रम में।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

| | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | पौष 10, शुक्रवार, शाके -1943-दिसम्बर 31, 2021<br>*Pausa 10, Friday , Saka 1943- December 31, 2021* | |

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

सांख्यिकी विभाग

परिपत्र

**जयपुर, दिसम्बर 30, 2021**

**संख्या प.5(64)सीओआई/सम/डीईएस**:- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त से प्राप्त अ.शा. पत्र एवं जनगणना कार्य निदेशालय से प्राप्त पत्र के दिशा-निर्देशानुसार भारत की जनगणना-2021 को मध्यनजर रखते हुये राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.10.2019 द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावें जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

कोविड-19 महामारी के कारण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य की प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/1662 दिनांक 10.08.2020 द्वारा 31 दिसम्बर, 2019 से बढाकर 31 दिसम्बर, 2020, परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/185 दिनांक 09.02.2021 द्वारा 31 दिसम्बर, 2020 से बढाकर 31 मार्च, 2021 एवं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/499 दिनांक 11.05.2021 द्वारा 31 मार्च, 2021 से बढाकर 30 जून, 2021 तथा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/720 दिनांक 13.07.2021 द्वारा 30 जून, 2021 से बढाकर 31 दिसम्बर, 2021 कर दी गई।

कोविड-19 महामारी के नये वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुये महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक इकाईयों के स्थिरीकरण की समय सीमा पुन: 31 दिसम्बर, 2021 से बढाकर 30 जून, 2022 की जाती है।

इसे आवश्यक समझा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,<br>
**निरंजन आर्य**,<br>
मुख्य सचिव।

10960

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**